न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 2417/2017

उनवान

1– जोनू पुत्र घासी जाट ना.बा. जरिये माता श्रीमति कंकू जाट पत्नि घासी जाट निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।
2– कुमारी सोनिया पुत्री घासी जाट ना.बा. जरिये माता श्रीमति कंकू जाट पत्नि घासी जाट निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।
3– कुमारी निरमा पुत्री घासी जाट ना.बा. जरिये माता श्रीमति कंकू जाट पत्नि घासी जाट निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1– घासी पिता गीला जाट, निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।
2– मोती पिता गीला जाट, निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।
3– श्रीमति उगमी बेवा गीला जाट, निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा ।
4– श्रीमति मूली पुत्री गीला पत्नि नारायण लाल जाट, निवासी भगवानपुरा हाल जससिंहपुरा तहसील हुरडा ।
5– श्रीमति नौसर पुत्री गीला पत्नि रामकरण जाट निवासी भगवानपुरा हाल जयसिंहपुरा तहसील हुरडा ।
6– श्रीमति प्रेम पुत्री गीला पत्नि सोहनलाल जाट निवासी भगवानपुरा हाल बैनपुरियॉ तहसील हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादीगण ।
श्री रामदयाल जाट वकील प्रतिवादी सं0–1, 4, 5, 6

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1– वादीगण के द्वारा से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का आगूँचा तहसील हुरडा में आराजी नम्बर– 5255, 5255/6226, 5258, 5267/6323, 5500, 5757, 5820 किता 7 रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है जो मौजूदा रेवेन्यू रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है ।

2 उक्त आराजीयात मौरुस गीला पिता हजारी जाट के समय की होने से उससे वादीगण के पिता घासी जाट का 1/3 हिस्सा दर्ज है । घासी जाट के 1/3 हिस्से में वादीगण का हक हिस्सा निहित है और

Scanned by CamScanner

उसी हक हिस्से अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है । उक्त आराजीयात में वादीगण का हिस्सा निहित होने से अपने निहित हिस्से में अपने पिता के साथ साथ अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के लिए अधिकृत है जिसके लिए वो खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।

3 प्रतिवादी नम्बर–1 अपने खाते के बल पर उक्त आराजीयात को दिगर को विक्रय / अन्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने पर उतारु है तथा बावजूद तकाजा उक्त आराजीयात में वादीगण का नाम दर्ज कराने में इन्कार है और यह रवैया उसने दिनांक 20.06.2017 से जारी कर रखा है जो कृत्य उसका अवैध व नाजायज होने से इससे रुक रहने बाबत उसको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में हे वरना वादीगण को ऐसी असंहनीय क्षति का सामाना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

4 वादीगण को बिनाय मुखास्मत दावा दिनांक 20.06.2017 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

5 अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया मुकन्दर्ज वादपत्र कलम नम्बर–1 में वादीगण के पिता के साथ साथ वादीगण का नाम उनके निहित हिस्से तक खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नम्बर–1 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वो आराजी मुतदाविया में वादीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने से एव उक्त आराजीयात को दिगर को विक्रय / अन्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने से रुके रहे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या–1 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.09.2017 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 के सम्मन प्रोपर तामीलशुदा नही होने से प्रकरण प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 की तलबी में निहित किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

7 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी संख्या–1 घासी की और से वकालतनामा श्री रामदयाल जाट एडवोकेट ने प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम–7 जाप्ता दीवानी का तथा प्रार्थीया श्रीमति मूली, नौसर, प्रेम जाट की और से पॉवर व प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 जाप्ता दीवानी का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर नकल व वकील वादी को दिलाई गई । वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश नही कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है ।

Scanned by CamScanner

8 मैंने वकील वादी को सूना । पत्रावली का अध्ययन किया । तदनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश–9 नियम–7 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या– 1 के विरुद्ध दिये गये एकतरफा कार्यवाही के आदेश अपास्त किया जाकर दोतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाता है । तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश–1 नियम–10 जाप्ता दिवानी का स्वीकार किया जाकर श्रीमति मूली पुत्री गीला पत्नि नारायण निवासी भगवानपुरा हाल मुकाम जयसिंहपुरा, श्रीमति नौसर पुत्री गीला पत्नि रामकरण जाट निवासी भगवानपुरा हाल मुकाम जयसिंहपुरा, श्रीमति प्रेम पुत्री गीला पत्नि सोहनलाल जाट निवासी भगवानपुरा हाल मुकाम चैनपुरियों तहसील हुरडा को बतौर प्रतिवादी संख्या– 4, 5, 6 कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है । इनका इन्द्राज वाद पत्र के शीर्षक पर लाल सही से किया जावें ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस पर अपनी सहमति व्यक्त करनें से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके मौरुस गीला पिता हजारी जाट के समय की होने से उसमें वादीगण के पिता घासी का 1/3 हिस्सा है। और घासी के 1/3 हिस्से में वादीगण का हक हिस्सा निहित है । जिसके लिये वादीगण खातेदारी हक की घोषणा करवानें के अधिकारी है । वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 अपने खाते के बल पर आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा है जिसके लिये उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या– 1 के साथ खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

10 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया गिला जाट के समय की है और गिला के दो पुत्र व तीन पुत्रीयॉ व एक पत्नि उगमी का वादग्रस्त भूमि में समान हक हिस्सा निहित है । उक्त हिस्सेनुसार वादग्रसत भूमि में 1/6 हिस्सा घासी का है । घासी के 1/6 हिस्से में से वादीगण को हक अधिकार दिये जाते है तो हमें कोई आपति नही है ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

11 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया । विवेचन निम्नप्रकार से रहा है –

12 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2049–2052 मौजा आगुँचा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 5255, 5258, 5500, 5757, 5820, 5255/6226, 5267/6323, किता 7 रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा भूमि गिला पिता हजारी जाट साकिन भगवानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

13 पत्रावली में उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर– 5255, 5258, 5500, 5757, 5820, 5255/6226, 5267/6323, किता 7 रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा भूमि मोती, घासी, पिता गिला , उगमी बेवा गिला जाट साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

14 यहॉ यह निर्विवाद है कि आराजी मुतदाविया गिला जाट के समय की है, मृतक खातेदार गिला के मोती, घासी दो पुत्र पत्नि उगमी तथा मूली, नौसर, प्रेम पुत्रीया है । पत्रावली में जो हाल जमाबन्दी उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार मृतक खातेदार गिला की विरासत का नामान्तकरण उसके दोनो पुत्र मोती, घासी, व उसकी बेवा उगमी के नाम ही खोला गया है जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा–8 में दिये गये प्रावधानानुसार पिता की सम्पति में उनके पुत्र व पुत्रीया का समान हक हिस्सा माना गया है । और इसी हक अधिकारों के तहत मृतक खातेदार गिला की भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 से लगायत 6 का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित होना प्रकट आया है । साथ ही वादग्रस्त आराजी वादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके दादा गिला जाट के समय की होने से इस पुश्तैनी आराजीयात में प्रतिवादी संख्या–1 जो कि वादीगण के पिता है के साथ उनका भी समान हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी संख्या–1 ने भी वादीगण के वाद का कोई जवाब दावा अथवा खण्डन नही किया गया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुंचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 5255, 5258, 5500, 5757, 5820, 5255/6226, 5267/6323, किता 7 रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा भूमि में मोती, घासी, पिता गिला , उगमी बेवा गिला, मूली, नौसर, प्रेम पुत्रीयॉ जाट को 1/6, 1/6 हक हिस्से से तथा घासी पिता गिला जाट के 1/6 हक हिस्से में घासी के साथ वादीगण को भी खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner